

न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 104 / 2024

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. घीसालाल पुत्र श्री धोकल, जाति-मीणा, निवासी-सरनाडूंगर, तहसील-कालवाड (मृतक)।
 - 1/1 राजूलाल मीणा पुत्र स्व० श्री घीसालाल उर्फ घासीराम मीणा, जाति मीणा, निवासी-सरनाडूंगर खोराबिसल, सरनाडूंगर जयपुर-302012
 - 1/2 अशोक मीणा पुत्र स्व० श्री घीसालाल उर्फ घासीराम मीणा, जाति मीणा, निवासी-सरनाडूंगर खोराबिसल, सरनाडूंगर जयपुर-302012
 - 1/3 श्रीमती सुनीता देवी पुत्री स्व० श्री घीसालाल उर्फ घासीराम मीणा, पत्नी श्री मुकेश मीणा निवासी-ग्राम पुरुषोत्तमपुरा, जयपुर-303105
 - 1/4 श्रीमती इंदिरा देवी मीणा पुत्री स्व० श्री घीसालाल उर्फ घासीराम मीणा पत्नी श्री सांवरमल, जाति मीणा, निवासी-तहसील दातारामगढ, जिला सीकर-332406
 - 1/5 मु० अमरी धर्मपत्नी स्व० श्री घीसालाल उर्फ घासीराम मीणा, जाति मीणा, निवासी-सरनाडूंगर खोराबिसल, सरनाडूंगर जयपुर-302012
2. शंकरलाल पुत्र श्री धोकल, जाति-मीणा, निवासी-सरनाडूंगर, तहसील-कालवाड।
3. गोपाल पुत्र श्री धोकल, जाति-मीणा, निवासी-सरनाडूंगर, तहसील-कालवाड।
4. रामदेव पुत्र श्री चंदा, जाति-मीणा, निवासी-सरनाडूंगर, तहसील-कालवाड (मृतक)
 - 4/1 शैतान मीणा पुत्र स्व० श्री रामदेव मीणा (मृतक)
 - 4/1/1 मु० तीजा देवी पत्नी स्व० श्री शैतान मीणा, निवासी-मीणों का मोहल्ला, सरनाडूंगर, जयपुर-302012
 - 4/1/2 अशोक कुमार मीणा पुत्र स्व० श्री शैतान मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला, पोस्ट खोराबिसल, सरनाडूंगर जिला जयपुर-302012
 - 4/1/3 भगवानसहाय मीणा पुत्र स्व० श्री शैतान मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला, पोस्ट खोराबिसल, सरनाडूंगर जिला जयपुर-302012
 - 4/1/4 महेंद्र कुमार मीणा पुत्र स्व० श्री शैतान मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला, पोस्ट खोराबिसल, सरनाडूंगर जिला जयपुर-302012
 - 4/1/5 सुमन मीणा पुत्री स्व० श्री शैतान मीणा पत्नी श्री बजरंग लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी-मल्यावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान-303338



Handwritten signature or initials.

- 4/2 मूलचन्द मीणा पुत्र स्व० श्री रामदेव मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला पोस्ट खोराबिसल, सरनाडूंगर जिला जयपुर-302012
5. हनुमान पुत्र श्री चंदा, जाति-मीणा, निवासी-सरनाडूंगर, तहसील-कालवाड (मृतक)
- 5/1 रुड़मल मीणा पुत्र स्व० श्री हनुमान मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला, पोस्ट खोराबिसल, सरनाडूंगर जिला जयपुर-302012
- 5/2 श्रवण कुमार मीणा पुत्र स्व० श्री हनुमान मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला, पोस्ट खोराबिसल, सरनाडूंगर जिला जयपुर-302012
- 5/3 गोलक देवी पुत्री स्व० श्री हनुमान मीणा पत्नी श्री मूलचन्द मीणा, निवासी-जयरामपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
- 5/4 मोहिनी देवी पुत्री स्व० श्री हनुमान पत्नी श्री झूथाराम, निवासी वार्ड नम्बर-11, ग्राम नांगल अभयपुरा, तहसील व जिला सीकर-332402
- 5/5 सुमन देवी पुत्री स्व० श्री हनुमान पत्नी श्री मालीराम मीणा, निवासी-मुख्य आबादी अलसीसर*जयपुर आलीसर जिला जयपुर।
- 5/6 कमली देवी मीणा पुत्री स्व० श्री हनुमान मीणा पत्नी श्री कैलाश चंद मीणा, निवासी-वार्ड नम्बर-7, लंकापुरी, आलीसर, चौमूं जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 27.04.2026


तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतोनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में ग्राम सरनाडूंगर की आरांजी खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुंजारी रामदयाल पि.मु. चंदकेशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में चंदा पुत्र नानू कौम मीणा,



1/2

सा0 देह मु0 कदीम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीताराम जी बहतभाम पुजारी देवनारायण पुत्र गंगाबक्श जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/2 व सूरज नारायण पुत्र गंगाबक्श जाति पुरोहित हिस्सा 1/2 साकिन देह झोटवाडा पट्टी नम्बर 2 दर्ज है तथा मिसल के कॉलम नम्बर 5 में चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मु0 कदीम दर्ज है जो सम्वत् 2024-2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 5 में कृषक के रूप में रामदेव धोकला हनुमान पि0 चंदा, जाति मीणा सा. देह मु0 कदीम दर्ज है तत्पश्चात् नामान्तरकरण सं0 150 (विरासत) के द्वारा धौकला के स्थान पर घीसालाल शंकरलाल गोपाल पि0 धौकला हि0 1/3 दर्ज हुआ इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 में घीसालाल शंकरलाल गोपाल पि0 धौकला हि0 1/3 रामदेव हनुमान पि0 चंदा, जाति मीणा हि0 1/2 सा0 देह मु0 कदीम दर्ज है। देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत अवयस्क की मानी गई है। अतः मूर्ति के नाम अंकित भूमि किसी दीगर के नाम होना गलत है। बिना किसी सक्षम आदेशों के मंदिर मूर्ति की आराजी स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी व खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा मंदिर श्री सीताराम जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेंस प्रार्थना-पत्र मय स्थगन प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 08.06.2005 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की जमाबन्दी में भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की होने से रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है, इस आशय का नोट अंकित किया जाकर भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश तहसीलदार, जयपुर को दिये गये। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जसिये अभिभाषक हाजिर आये। कायमी मुकामान् को रिकार्ड पर लिया गया। अभिभाषक



Handwritten signature/initials

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश न कर सीधे ही लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसल है।

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहशते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खतौनी चन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में ग्राम सरणाडूंगर की आराजी आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि.मु. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकॉल में चन्दा पुत्र नानू कौम मीणा, सा० देह मु० कदीम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीताराम जी बहतमाम पुजारी देवनारायण पुत्र गंगाबक्श जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/2 व सूरज नारायण पुत्र गंगाबक्श जाति पुरोहित हिस्सा 1/2 साकिन देह झोटवाडा पट्टी नम्बर 2 दर्ज है तथा मिसल के कॉलम नम्बर 5 में चन्दा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मु० कदीम दर्ज है जो सम्वत् 2024-2027 की जमाबन्दी में माफी के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न० 5 में कृषक के रूप में रामदेव धोकला हनुमान पि० चन्दा, जाति मीणा सा. देह मु० कदीम दर्ज है तत्पश्चात् नामा० सं० 150 (विरासत) के द्वारा धौकला के स्थान पर घीसालाल शकरलाल गोपाल पि० धौकला हि० 1/3 दर्ज हुआ इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 में घीसालाल शकरलाल गोपाल पि० धौकला हि० 1/3 रामदेव हनुमान पि० चन्दा, जाति मीणा हि० 1/2 सा० देह मु० कदीम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वास्तविक रूप से माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, माफी मंदिर श्री सीताराम जी की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग के हितों का इस प्रकार अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत हैं। नाबालिग मूर्ति की खातेदारी आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विचारण प्रकरण में नियमों के प्रावधानों के विपरीत राजस्व अभिलेखों में निजी खातेदारी दर्ज की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, माफी मंदिर सीताराम जी का नाम हजफ कर



1/11

जमाबंदी सम्वत् 2024-2027 के कॉलम संख्या 4 भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार और मालगुजार, बिस्वेदार या जमींदार, विवरण सहित) में राजस्थान सरकार तथा कॉलम नं० 5 में कृषक के रूप में रामदेव धोकला व हनुमान पि० चंदा जाति मीणा सा. देह मु० कदीम दर्ज किया गया तत्पश्चात् विरासत से वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 का प्रभाव 18.02.1952 को तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 23.03.1955 को प्रभावशील हुआ है। वादग्रस्त आराजी नाबालिग श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी सीताराम जी के द्वारा धारण की गई आराजी है। नाबालिग के द्वारा अपनी खेती को चाहे जिस प्रकार के श्रम का उपयोग करते हुए खेती करवायी गई हो उसके व्यक्तिगत स्वयं के निगरानी में खेती किये जाने के समान ही समझी जावेगी। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2(I) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा खेती की गई हो। धारा 2(K) तथा धारा 2(I) के साथ-साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, सीताराम जी एक शाश्वत नाबालिग देवमूर्ति के द्वारा धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते हैं लेकिन राजस्व कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से मन्दिर की आराजी को काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई तत्पश्चात् वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जो अवैध होने से निरस्तनीय है। दिनांक 01.07.1963 को जागीर खालसा हुई है और मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, सीताराम जी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु अन्य व्यक्ति रामदेव वगैराह के नाम दर्ज की गई है, जोकि अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को बगैर अपनाये अप्रार्थीगण रामदेव वगैराह का नाम बिना नामान्तरकरण की कोई वैध कार्यवाही किये ही जमाबंदी 2024-2027 में दर्ज कर दिया गया जो अवैध होने से निरस्तनीय है। नाबालिग की आराजी पर काश्त किये जाने से किसी अन्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि माफी मन्दिर की भूमि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के बाद राज्य सरकार में निहित होगी। अतः वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में



10/11

निहित होनी है ऐसी स्थिति में समस्त अन्तरणों के इन्द्राजों को निरस्त कर भूमि को पुनः मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, सीताराम जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स की शक्तियां कलक्टर/अति० कलक्टर में निहित है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वापिस मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड ने लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर विधि के विरुद्ध अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर बरबाद करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिये यह आवश्यक है कि पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015 लगायत 2034 की खाता संख्या 1 के कॉलम नम्बर 3 माफी मंदिर श्री सीताराम जी बहताम पुजारी श्री देवनारायण पुत्र गंगाबक्श जाति ब्राहमण हिस्सा 1/2 सूरजनारायण पुत्र गंगाबक्श जाति पुरोहित हिस्सा 1/2 साकिन झोटवाडा पट्टी नम्बर 2 अंकित किया हुआ है व कॉलम संख्या 4 में कोई इन्द्राज नहीं है तथा कॉलम संख्या 5 में मंदिर खुदकाशत दर्ज ना होकर चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मुद्धत कदीम अंकित है जो खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा अंकित है तथा खाता संख्या 56 में भी वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री ठाकुर जी अंकित है जो कॉलम संख्या 3 में अंकित है (नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान) एवं कॉलम संख्या 5 (नाम कृषक पिता का नाम जाति निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल) में चंदा वल्द नानू कौम मीणा साकिन देह मुद्धत कदीम अंकित है जिसमें खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2024 लगायत 2027 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जहां कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री ठाकुर अंकित था उस स्थान पर राजस्थान सरकार के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्योंकि नामान्तकरण संख्या 22 जो विरासत चंदा के स्थान पर रामदेवा धोकला व हनुमान पिता चंदा दर्ज हुआ है, एवं नामान्तकरण संख्या 150 जो जमाबंदी



112

सम्मत 2047 लगायत 2050 प्रस्तुत की गयी है उसमें भी धोकल (विरासतन) के स्थान पर घीसालाल, शंकरलाल गोपाल पिता धोकला दर्ज किया गया है अर्थात् खसरा नम्बर 5, 6, 161, 195, 4 व 50 कुल किता 6 रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा अंकित है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व भू-अभिलेख खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय ग्राम सरनाडूंगर सम्मत 2009 लगायत 2011 में खसरा नम्बर 4, 5 व 6 में मंदिर माफी की खुदकाशत भूमि अंकित नहीं है कृषक के कॉलम में चन्दा पुत्र नानू जाति मीणा का अंकन है। जो खसरा नम्बर 50 में भी उक्त इंद्राजात यथावत है एवं खसरा नम्बर 161 में भी उक्त इंद्राजात यथावत हैं। खसरा नम्बर 195 में भी उक्त इंद्राजात यथावत हैं तथा खसरा नम्बर 4, 5 व 6 की खसरा गिरदावरी सम्मत 2012 लगायत 2015 का राजस्व भू-अभिलेख जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पाया गया है जिसके लिए आवेदन अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला भू-अभिलेख अधिकारी, जयपुर द्वारा जीर्ण-शीर्ण होने की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 को बनायी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा खसरा नम्बर 50, 161 व 195 की खसरा गिरदावरी में भी चंदा वगैरह की खातेदारी अंकित है। जो सम्मत 2012 लगायत 2015 में अंकित है उक्त दस्तावेजों से भी स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि कभी भी मंदिर माफी खुदकाशत अंकित नहीं रही है। सम्मत 2016 की जमाबंदी का अवलोकन किये जाने से भी स्पष्ट होता है कि खाता संख्या 68 के कॉलम नम्बर 4 में माफी श्री ठाकुर जी मजकूर अंकित है तथा कॉलम संख्या 5 में चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मुद्धत कदीम जो कृषक के रूप में अंकित है जिसमें वर्णित खसरा नम्बर 5, 6, 161 व 195 कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा एवं खाता संख्या 86 के कॉलम संख्या 4 में माफी मंदिर श्री सीतारामजी बहतआम पुजारी देवनारायण पुत्र गंगाबक्श ब्राहमण हिस्सा 1/2 सूरजनारायण पुत्र गंगाबक्श जाति पुरोहित हिस्सा 1/2 साकिन झोटवाडा पट्टी नम्बर 2 तथा कॉलम संख्या 5 में चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मुद्धत कदीम कृषक के रूप में अंकित है जो खसरा नम्बर 4, 50 कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा तथा जमाबंदी सम्मत 2020 की जमाबंदी में भी चंदा पुत्र नानू कौम मीणा कृषक के रूप में अंकित है जो खसरा नम्बर 5, 6, 161, 195 कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा अंकित है। इन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी मंदिर माफी की खुदकाशत भूमि ना तो कभी अंकित है ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थीगण के पूर्वजों/पूर्वहितधारियों के समय से ही वादग्रस्त भूमि खातेदारी में चली आ रही है एवं तत्कालीन समय से ही तत्कालीन रिकॉर्ड ऑफ राईट (खसरा गिरदावरी) में अप्रार्थीगण के पूर्वजों/पूर्वहितधारियों के द्वारा



115

की गई काश्त दर्ज चली आ रही है। प्रथम भू-प्रबंध संवत् 2015 से 2034 आने के बाद खतौनी बन्दोबस्त भी बनायी गई थी जिसमें कॉलम नम्बर 5 में खातेदार के रूप में अप्रार्थीगण के पूर्वजों/पूर्वहितधारियों का नाम दर्ज था जोकि खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है। प्रथम भू-प्रबंध के पश्चात् से अप्रार्थीगण के पूर्वज/पूर्वहितधारी नियमित रूप से रिकॉर्ड ऑफ राईट जमाबन्दी में बहैसियत खातेदार-काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग-उपभोग भी करते चले आ रहे हैं। जयपुर रियासत के पूर्व शासकों के द्वारा ग्राम सरना डूंगर, की भूमि जागीर के रूप में ठाकुर जी श्री बिहारी जी मन्दिर रामगंज बाजार जयपुर को दी गई थी। राजस्थान राज्य के द्वारा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अस्तित्व में आने के पश्चात् वादग्रस्त गांव की जमीन मन्दिर को दी गई भूमि को जागीर की भूमि माना गया था। इसी कारण से खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2015-2034 में जागीरदार के कॉलम में मन्दिर का नाम लिखा गया है। माफी मन्दिर ठाकुर जी श्री बिहारी जी रामगंज बाजार जयपुर अंकित किया गया था। वादग्रस्त भूमि को जागीर की भूमि होना मानते हुए वादग्रस्त भूमि से प्राप्त होने वाली आय के क्लेम मांगे गये। उक्त गांव की भूमि को मन्दिर माफी की भूमि माना गया। जागीर रिजेम्शन एक्ट की अनुसूची 1 में क्रम संख्या 15 नम्बर पर माफी को जागीर की भूमि बताया गई है। इस कारण जागीर रिजेम्शन एक्ट के अनुरूप उक्त भूमि को जागीर की भूमि होना मानते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा रिज्यूम कर ली गई तथा अप्रार्थीगण के पूर्वजों/पूर्वहितधारियों के नाम राजस्व रिकार्ड में काश्त करने के कारण खातेदार के रूप में दर्ज कर दी है। उक्त भूमियों से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में जागीर कमिश्नर के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये क्लेम को निर्णित करते हुए मुआवजा दिया गया। मुआवजे के रूप में ऐसे मन्दिर की वार्षिक आय भी (Annuity) भी निर्धारित कर दी गयी थी। तत्कालीन शासकों के द्वारा मन्दिर को भूमि दिये जाते समय भूमि दिये जाने का उद्देश्य मात्र भूमि से प्राप्त आय से सेवा पूजा करवाये जाने की व्यवस्था करना होता है। ऐसा सालाना अनुदान समय समय पर बढ़ाया जाता भी रहा, उक्त भूमि कभी भी मन्दिर के स्वामित्व की भूमि नहीं रही, उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा हमेशा अप्रार्थीगण के पूर्वजों/पूर्वहितधारियों का ही रहा जो निरन्तर चला आ रहा है। वर्तमान में अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। यह कि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार राजस्थान लैण्ड रिफॉर्स एण्ड रिजेम्शन ऑफ जागीर एक्ट 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुरूप प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विधि के द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों के विरुद्ध रेफरेंस प्रस्तुत



JK

करने का भूमिधारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि उक्त सन्दर्भ में Rajasthan Land Reforms and Resumption of jagirs Act 1952 तथा Rajasthan Tenancy Act 1955 के स्पष्ट प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है। Rajasthan (Land Reforms and Resumption of jagirs) Act 1952 Section 2 (h) Jagir Land means any land in which or in relation to which a Jagirdar has rights in respect of land revenue of any other Kind if revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the First Schedule

The First Schedule

Jagir	Istamrar	Chokoti
Tankha	Suba	Mamla
Inam	Lalji	Khangi
Aloofa	Thikanas or dholpur states	Khanpan
Khidmat	Jaidad singha	Muafi
Tankedar	Bhom	Salami
Chakana	Petroti	Rajvi
Tazimi	Bhogta	Hazuri
Sansan	Mutsadi	Khawas paswan
Risala	Marzidan	Patta
Guzara	Udak	Juna jagir
Bhoomichara	Pasaita	Baad
Dumba	Doli	Milak
Punarth	Dharmada	Ijara istamrar
Bapoti	Bakhisas	Any other class or tenure of state grand of land

Section 5 (22) of the Rajasthan Tenancy Act 1955 defines jagir land as under "Jagir Land" Shall mean land in any pary of the state in which or in relation to which a jagirdar has rights in respect of land revenue or any other Kind of revenue and shall include&

- (a) Land held in the per-recoranisation State of Rajasthan other than in the sironj area on any of the tenures specified in the Second Schedule-

Land if any] held in Abu area as jagir as defined in clause (vi) or Sub Section (1) of Section 2 of the Bombay Merged Territories and areas (jagis abolition) Act-1952 (Bombay Act, 39 of 1954)-----



Handwritten signature or initials.

2. The clause "Land cultivated personally" is defined in the The Rajasthan Land reforms and Resumption of jagir Act- 1952] Section 2 (K) and the Rajasthan Tenancy Act- 1955 Section 5 (25) as under:

Art on 6 of 1952	Act so 3 of 1955
<p>"Land cultivated personally With all its grammatical Variations and cognate expressions means land cultivated on one sows account"</p> <p>(i) by one's own isbour of by the labour of any member of one's Family. (by servants on wages puyble in cash or in kind but not by Way of a share in crops, or by hired labour under an's personal supervision of esember of und family of the personal supervision of any provided that in the case of a person Who is a widow or a lover or la subject to any physicaid er nesal disability of is a monder of military] saveler air service of india or Who being a Stalent or an educational institution recognizet by the State Government is below the age of twenty five years land shall he deemed to be cultivated perumally even in the sharmies of each personal supervision</p>	<p>"Land cattivated personally With all its grammatical Variations and cognate expressions Shall means land cultivated on one's own labour account"</p> <p>(i) by one's own labour</p> <p>(ii) by the labour of any member of one's Family, or</p> <p>(iii) under the personal supervision of of any member of ones family by hired labour of by servants we wages payable in cash or in Kind but not by Way of a share of crop provided that in the cash of a person who is a widow and a provided that subject to any perysical or mental disability of is member of military]. naval naval or air service of India Who being a Student or an educational incurion regel by the Sate Government is below the age of twenty five years land shall be deemed to be cultivand perumally evo chance of sach personal supervision</p>

Section 2 (1) of the Act No- 6 of 1952 and Section 5 (23) of act No 3 of 1955 defines "Khudkasht" as under

- (i) land recorded as Khudkasht, sir havala, niji jot, gharkhed in Settlement records at the commencement of this act in accordance with law in force at the time such record was made and,
- (ii) Land allotted after such commencement as Khuukasht under any law for the time being in force in any part of the state(Section 9 and 10 of the Rajasthan (Land Reforms and Resumpiton of jagiras) Act 1952 reads as under, Section 9% Khatedari rights in jagir lands- Every tenant in a jagir land who at the commencement of this Act is entered in the revenue records as a Khatedar, pattedar, Khademder of under any other description implying that the tenant has



Handwritten signature or initials.

heritable and full transferable rights in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a Khatedar tenant in respect of such land.

Section 10 : Khatedari rights in Khudkasht land- As from the date of resumption of any jagir land, any Khudkasht land of a jagirdar shall be deemed to be held by the jagirdar as a Khatedar tenant and shall be assessed at the village rate. The provisions of Section 13 and 15 of the Rajasthan Tenancy Act are as under, Section 13 Khatedari rights upon resumption or abolition.

On the resumption or abolition of an estate under any law in force in the whole or any part of the state, the estate holder holding khudkasht shall become a Khatedar tenant thereof and shall be entitled to all the rights conferred, and be subject to all the liabilities imposed on a khatedar tenant by or under this Act- Section 15 Khatedar tenants (1) Subject to the provisions of Section 126 (Land clause (d) of Sub Section (1) of Section 180) every person who, at the commencement of this act, is a tenant of land other wise than as a sub tenant of Khudkasht or who is after the commencement of this Act admitted as a tenant other wise than as a sub tenant or a tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under Section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act- 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who requires Khatedari rights in land in accordance with the provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of jagirs Act 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force- shall be a Khatedar tenant and shall be subject to the provisions of this act (XXX) be entitled to all the rights conferred, and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenant by this Act-

उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह संदेह से बाहर साबित हो जाता है कि "माफी" जागीर की ही एक किस्म है और जहाँ माफीदार की खुदकाशत ना हो वहाँ माफीदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और जहाँ माफीदार की खुदकाशत हो और जहाँ जागीर के पुनर्ग्रहण के समय कृषक का नाम दर्ज हो और वह स्वयं काशत कर रहा हो वहाँ कृषक को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे। माननीय राजस्व मण्डल की फुल बेंच ने 1995 आर.आर.डी 418 में यह व्यवस्था दी है कि माफीदार को खुदकाशत भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे। विद्वान उय राजकीय अधिवक्ता का यह कथन निराधार है कि उक्त रूलिंग के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की काशत को मन्दिर की काशत मानी जावेगी। फुल बेंच ने पुजारी, शिवायत, कर्ता व हायर्ड लेबर के द्वारा की गई काशत को शाश्वत नाबालिग की ओर से काशत किया जाना माना है जो वर्तमान केस की स्थिति नहीं है। वर्तमान प्रकरण में खुदकाशत चन्दा की है और चन्दा पुजारी, शिवायत कर्ता व हायर्ड लेबर नहीं है।



प्रति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 आर.आर.डी. 535 दीपा बनाम राज. सरकार व अन्य में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि टीनेन्ट विल बीकम ए खातेदार टीनेन्ट। यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2000 आर.आर.डी. 14 बालकिशन बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि

(para 6-) In view of the legal position if the name of the tenant is recorded in the revenue record as Khatedar of under any caption, the tenant becomes Khatedar tenant by virtue of section 15 of the Rajasthan Tenancy Act even the land belong to deity, but cultivated by the tenant- Applying the provisions of Section 15 of the Rajasthan Tenancy Act- by perusal of Annexures 1, 2 and 3 it is revealed that the land Was being cultivated by the petitioner ever Since Samvat 2006 Corresponding to the year 1949 and, in the year 1952 he Was recorded as tenant cultivating the land and, there fore, under the provisions of Section 9 of the Jagir Act, he hed become the Khatedar tenant of the land as per the ratio enuntiated by the supreme court in the case of Deepa (supra), Which Fact is also Strengthende by the Fact that the respondent had admitted. In the Seme Way in 2000 RRD139 Gauri Shanker &ors- Vis State of Raj- & ors the Hon'ble High court has held. "On the resumption of jagir the khudkasht land remained with the Khatedar and other land vested in the State- under Section 9 of the Act of 1952, even tenant in a jagir land Who at the commencement of this Act is entered in the revenue records as a Khamdar, pattadar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transferable rights in the tenancy Shall continue tod have such rights and Shall be Called a Khatedar tenant in respect of Such land-.

माननीय राजस्व मण्डल ने भी विभिन्न निर्णयों में इसी सिद्धान्त के आधार पर यह मानते हुए कि जैहाँ जागीर के पुनर्ग्रहण के समय कृषक का नाम दर्ज हो वहाँ मन्दिर माफी को खातेदारी अधिकार प्राप्त ना होकर कृषक को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे। 2009-2010 (सप्लीमेंट) आर.आर.टी. 173 तथा 2009-2010 (सप्लीमेंट) आर.आर.टी 294 में रेफरेन्स निरस्त किये गये और इसी आधार पर रेफरेन्स संख्या 2006/4201 जयपुर उनवानी सरकार बनाम भंवर लाल में दिनांक 29-11-2011 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स निरस्त किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि विवादग्रस्त अप्रार्थीगण/पूर्वहितधारी की खुदकाशत दर्ज है जिसे गलत माने जाने का कोई आधार नहीं है। सरकार उक्त इन्द्राज को सही मानने को बाध्य है। भूमि विवादग्रस्त जब मन्दिर की खुदकाशत रही ही नहीं तो मन्दिर को किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। माफी का पुनर्ग्रहण हो चुका है और चन्दा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये ऐसी स्थिति में रेफरेन्स के माध्यम से मन्दिर को नये सिरे से खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। राजस्थान भूमि सुधार एवं



प्र

जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी रिज्यूम होने पर राजस्व भू-अभिलेखों में भूमिदारी के कॉलम में माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी बिहारी जी, मंदिर सीताराम जी के स्थान पर राजस्थान राज्य सरकार का नाम भूमि अधिकारी के रूप में अंकित किया गया। उल्लेखनीय है कि खातेदार के कॉलम में अप्रार्थीगण/पूर्वहितधारी का नाम पूर्ववत् चला आ रहा है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही खतौनी बन्दोबस्त में राजस्थान राज्य सरकार का नाम भूमि अधिकारी के कॉलम में प्रतिस्थापित किया गया जिसके बारे में स्वयं राजस्थान राज्य सरकार को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। भूमि अधिकारी के रूप में राजस्थान राज्य सरकार का नाम विधि के स्पष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है जिसे स्वयं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चुनौती दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह कि भूमि विवादग्रस्त कभी माफी मन्दिर की खातेदारी की भूमि नहीं रही और ना ही कभी माफी मन्दिर की कानूनी स्थिति शाश्वत अव्यस्क की होती है विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप मूर्ति ही शाश्वत अव्यस्क की परिभाषा में आती है, कभी कोई "माफी" और कोई "मन्दिर कभी मूर्ति की परिभाषा में नहीं आता है और इसलिए उसे शाश्वत अव्यस्क माने जाने का कोई आधार नहीं है। जब तथाकथित "माफी मन्दिर" के भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के हित ही नहीं थे और ना ही कभी उक्त भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया तब ऐसी स्थिति में तथाकथित अव्यस्क के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मन्दिर श्री ठाकुर जी बिहारी जी, सीताराम जी भूमि विवादग्रस्त के कभी खातेदार कृषक नहीं रहे। रेफरेन्स हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड ने ऐसे कोई तथ्य अंकित भी नहीं किये है और इसलिए राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात को गलत होना जाहिर करते हुये रेफरेन्स प्रस्तुत करने का तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, निदेशक भू-अभिलेख तथा जिला कलक्टर को अपने अधिनस्थ अधिकारी एवं न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत करने के अधिकार दिये गये है स्थिति में अन्यथा भी राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात से संबंधित रेफरेन्स करने की प्रक्रिया मात्र निदेशक भू-अभिलेख ही प्रारंभ कर आवश्यक होने पर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकते है। राजस्व भू अभिलेख



11/11

अधिकारी माननीय न्यायालय के अधिनस्थ अधिकारी नहीं हैं और इसलिए राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात से संबंधित रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं। 1980 आर.आर.डी. 62, 1992 आर.आर.डी. 170 व 558, 1996 आर.आर.डी. 41 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि अपने अधिनस्थ अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध ही रेफरेन्स किया जा सकता है। यह कि संवत् 2015 लगायत 2034 की जमाबन्दी के किसी इन्द्राजात को लोपित करते हुये भूमि विवादग्रस्त को कभी अप्रार्थीगण/पूर्वहितधारी की खातेदारी में अंकित नहीं किया गया। संवत् 2015 लगायत 2034 की खतौनी बन्दोबस्त उक्त भूमि विवादग्रस्त अप्रार्थीगण के पूर्वहितधारी की ही खातेदारी में अंकित थी जो वर्तमान राजस्व भू-अभिलेखों में भी यथावत पहले अप्रार्थीगण के नाम अंकित चली आ रही है इस प्रकार राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे खातेदारी के इन्द्राजात को किसी भी प्रकार से परिवर्तित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यद्यपि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कोई मियाद निर्धारित नहीं की गई है परन्तु यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि जहाँ मियाद निर्धारित नहीं भी हो वहाँ भी युक्तियुक्त समयावधि में ही रेफरेन्स किया जा सकता है और अत्यधिक विलम्बित रेफरेन्स निरस्त कर दिया जाना चाहिये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1996 आर.आर.डी. 170, 2005 डी.एन.जे. (राज.) 612, 2005 (3) डी.एन.जे. (राज.) 1270, 2006 (1) डी.एन.जे. (राज.) 142, व 2006 (1) डब्ल्यू.एल.सी (राज.) 352 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। राजस्थान राज्य सरकार ने दिनांक 24-5-2007 को तथा माननीय राजस्थान मण्डल ने दिनांक 6-1-2010 को परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट भी किया है कि जहाँ कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं वहाँ रेफरेन्स नहीं किया जाना चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2008 (3) डब्ल्यू 648 में जो यह व्यवस्था दी है कि परिपत्र अधिनियम की भाषा को सुपरसीड नहीं कर सकते सही है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान राज्य सरकार व माननीय राजस्व मण्डल ने अधिनियम की भाषा एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के बाध्य निर्णयों की सही रूप में व्याख्या कर उसके अनुरूप कार्यवाही करने के ही निर्देश दिये हैं इसलिए परिपत्र के अनुरूप कार्यवाही कर रेफरेन्स निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल के द्वारा भी मंदिर मूर्ति की जमीन एवं जागोर की जमीन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पांच प्रश्न बनाते हुए निर्णय पारित किया है जो निम्न प्रकार है



Handwritten signature/initials

"Question no (1) Whether the land held in Jagir, by Hindu Idol (deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other than the Shebait/Pujari of the deity or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity- such idol being treated as a perpetual minor, will still be regarded as land held in the personal cultivation of the deity or will such land be regarded as held in the tenancy by the person cultivating such land as tenant of a deity ?

Answer The question no-(i) is decided in favour of the State and against the Shebait/Pujari claiming the land to be saved by the Jagirs Act of 1952- The land held in Jagir by Hindu idol (deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other than the Shebait/Pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the State, after the Jagirs Act of 1952- The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land- Such land cannot be treated to be in its personal cultivation- A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State- Such land under the tenancy of a person other than Shebait/Pujari of Hindu Idol (deity) became khatedari land of such tenant- The name of Hindu Idol (deity) from such land had to be expunged from the revenue records with Shebait/Pujari having no right to claim the land as Khatedar- Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act 1952, and the land under such transfers to be resumed by the State.

Question no (ii) What are the rights of the Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebait/Pujari on the date of resumption of such Jagir, under the provisions of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagir Act, 1952 ?

Answer- The Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebait/Pujari on the date of resumption of such Jagir under the provisions of the Jagirs Act of 1952 did not have any rights except in khudkasht land cultivated by Shebait/Pujari either by themselves or by hired labour or servant engaged by them for the benefit of the expenses of the temple including sewa puja- All those lands let out by them to the tenants or sub-tenants were resumed by the Jagirs Act of 1952 and that the Hindu idol (deity) lost all the rights in such jagir lands

Question no-(iii) Whether such a Jagir land/Muafi held by the Shebait/Pujari of Hindu Idol (deity) in their name after the date of resumption of the Jagir (Muafi) can be alienated by them/ If so, what is the effect ?

Answer:- The Jagir land/Muafi held by the Shebait/Pujari of Hindu Idol(deity) in their name after the date of resumption of the Jagir (Muafi) by the Jagirs Act of 1952 will not give them any right nor they could alienate the land- The alienation made by them of



THW

such land which was resumed/acquired by the State Government and for which claims were made and settled before the Jagir Commissioner, would be null and void and will have no effect.

Question no-(iv) Whether any person can acquire right by adverse possession in the lands of aforesaid nature against the holder ?

Answer: No person can acquire right by adverse possession in the lands which were resumed or are in the tenancy of the tenants as khatedars- The limitation applicable under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for filing suit for possession against the trespasser will be applicable- The Rajasthan Tenancy Act, 1955 being a Special Act, will prevail and the provisions of Section 27 of the Limitation Act will not apply for claiming adverse possession on such lands.

Question no- (v) Whether any time limit can be fixed for reference u/s 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and u/s-232 of the Rajasthan Tenancy Act- 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity)- If so, to what extent ?

Answer- No time limit has been fixed for reference under Section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity), and thus a reference can be made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances of each case- Even if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land-

राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को रतनलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू अजमेर के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए माफी की भूमि को नाबालिग मूर्ति की भूमि नहीं माना बल्कि जागीर की भूमि होना मानते हुए काम करने वाले खातेदार को खातेदारी अधिकार देना सही माना है राजस्थान राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड ने सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण जानकारी होते हुये भी गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुये रेफरेन्स प्रस्तुत किया जो विधि के प्रावधानों पर विचार किये बिना ही रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो विशेष हर्जे खर्च सहित निरस्त किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स सव्यय खारिज फरमाया जावे।



हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड के विद्वान् परोकार सरकार द्वारा वरवक्त बहस कथन किया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की

JK

धारा 2(i) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा खेती की गई हो, धारा 2(k) तथा 2(i) के साथ-साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी व सीताराम जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते हैं; के संबंध में हमने धारा 2(h), 2(i) एवं 2(k) का अवलोकन किया जोकि ज्यों की त्यों निम्न प्रकार है:-

Section 2(H) - jagir land means any land in which or in relation to which a jagirdar has right in respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the first schedule."

Section 2(I)

(1) khudkasht means any land cultivated personally by a jagirdar and includes.

(2) any land recored as khudkasht, sir, or hawala in a settlement records; and

(3) any land allotted to a jagairdar as khudkasht under Chaper IV];

or section 2(k) :-

(1) Land cultivated personally' with its gramatical variations and conginate expressions menas and cultivated on one's own account

(2) by one's own labour; or

(3) by the labour of any member of one's family; or

(4) by servants on wages payable in case or kind (but not by way of a share in crops) or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family,

उक्त धाराओं के परिपेक्ष्य में निष्कर्ष रूप से यह तथ्य उजागर होते हैं कि माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी एवं श्री सीताराम जी भू-राजस्व प्राप्त किये जाने हेतु अधिकृत थे और वादग्रस्त आराजी को जागीरदार मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, श्री सीताराम जी द्वारा न तो व्यक्तिगत रूप से काश्त की है और न ही वादग्रस्त आराजी भू-प्रबन्ध रिकार्ड में खुदकाश्त अंकित है, वादग्रस्त आराजी को स्वयं के द्वारा या स्वयं के श्रमिकों से भी काश्त कराया जाना जाहिर नहीं होता है। भू-प्रबन्ध से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है जो यह जाहिर करता हो कि भू-प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, श्री सीताराम जी की रही हो अतः विद्वान् परोकार सरकार का यह कथन कि श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी, श्री सीताराम जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के




WV

प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते हैं, लागू नहीं होने से हम सहमत नहीं हैं। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं जो यह जाहिर करते हो कि भू-प्रबन्ध 2015-2034 से पूर्व वादग्रस्त आराजी कभी मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, श्री सीताराम जी की खातेदारी में रही हो अथवा कभी इनका कब्जा काशत रहा हो। राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 46(1) के तहत मंदिर मूर्ति अन्य व्यक्तियों के माध्यम से काशत करा सकते हैं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को मंदिर मूर्ति की भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, परन्तु यह प्रावधान दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था, जबकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के कारण खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल कित्ता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मु० कदीम दर्ज होने से वादग्रस्त आराजी के निजी खातेदारी अधिकार राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि.मु. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर नाम व माफी मंदिर सीतारामजी बहतमाम पुजारी देवनारायण सुरज नारायण अंकित है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी जागीर भूमि थी। अब यह प्रश्न उठता है कि जिन जागीर भूमियों पर खुदकाशत का अंकन था, ऐसी भूमियां राजस्थान काशतकारी अधिनियम के लागू होने पर इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जो जागीरदार "खुदकाशत" की भूमि धारण करता था, वह उन भूमियों के खातेदार हो गये हैं लेकिन चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम नं० 5 नाम कृषक में खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल कित्ता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा मिसल के कॉलम नम्बर 5 में चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मु० कदीम दर्ज है और तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड




11/11

द्वारा सम्वत् 2015 से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी व मंदिर मूर्ति श्री सीतारामजी की खातेदारी में रही हो अथवा "खुदकाशत" की दर्ज रही हो भू-प्रबन्ध 2015-2034 से पूर्व की नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009-2011, 2012-2015 जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है, में भी माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी, मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी का कहीं बतौर खातेदार या काबिज काशतकार के रूप में इन्द्राज नहीं है, जो इन्द्राज है वे माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी से इतर है। जमाबन्दी सम्वत् 2016 में बतौर खातेदार चन्दा पुत्र नानू का नाम दर्ज है, इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जागीर अधिनियम लागू होने से पूर्व राजस्व अभिलेखों में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी मंदिर मूर्ति सीताराम जी के नाम दर्ज नहीं थी और अन्यो के द्वारा काशत की जा रही थी/कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज थी। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम की धारा 2(H) के अनुसार माफी भूमियों के लिए मंदिर मूर्ति की हैसियत जागीरदार की थी तथा धारा 21 एवं 22 अनुसार उक्त भूमियां भी पुनर्ग्रहण के बाद सरकार के स्वामित्व में आ गई। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम मुख्य रूप से भूमि सुधार हेतु लागू किया गया था और काशतकारों के अधिकारों के हित में इस अधिनियम में धारा 9 एवं धारा 10 का प्रावधान किया गया था। राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 13A, 15 में भी प्रावधान जोड़ा गया। अतः राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम की धारा 9 व राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान एक दूसरे के पूरक है जिसके तहत हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के पूर्व राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी दर्ज की काशतकारी में रही है। चूंकि प्रश्नागत भूमि मंदिर माफी की "खुदकाशत" नहीं थी, जो कोई काशतकार जागीर भूमियों पर उक्त अधिनियम लागू होने के दिन बतौर खातेदार फूट्टेदार या खडगमदार अथवा अन्य किसी नाम से दर्ज था, जिसे पैतृक अधिकार तथा हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे, तो ऐसे व्यक्ति खातेदार काशतकार कहलायेंगे। हस्तगत प्रकरण के राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम नं० 5 नाम कृषक में आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल कित्ता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा



HR

महायोग कुल किता 6 रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन मु० कदीम दर्ज है तथा पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह तथ्य स्पष्ट करते हो कि सम्वत् 2015-2034 की खतौनी बन्दोबस्त के पश्चात् संधारित किये गये राजस्व अभिलेख में दादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी मंदिर मूर्ति सीताराम जी के नाम बतौर खातेदारी दर्ज रही हो। भू-प्रबन्ध के पश्चात् कॉलम संख्या 5 में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही आगे की जमाबंदियों में इन्द्राज किया जाना जाहिर है जो स्वतः ही यह स्थिति स्पष्ट करती है कि आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा महायोग कुल किता 6 रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मु० कदीम दर्ज है। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार खातेदार होने के फलस्वरूप इन्द्राज बदस्तूर दर्ज है। दादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने के इन्द्राज को मंदिर के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और मंदिर का भू-प्रबन्ध से पूर्व अथवा भू-प्रबन्ध के पश्चात् बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं है। इस संदर्भ में राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने भी भिन्न-भिन्न निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि जागीर का पुनर्ग्रहण होने के समय यदि कृषक का नाम था तो वहां रेफरेंस स्वीकार किया जाकर कृषक के नाम के इन्द्राज को निरस्त किया जाकर माफी मंदिर का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों को अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने वरवक्त बहस रेफरेंस प्रकरणों में मार्गदृष्टा होने का कथन किया है, जिससे हम सहमत हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कलक्टर को अपनी राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प०क्र:-3(2) राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को ज्यों की त्यों अंकित किया जाना समीचीन माना जाता है "1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर




Handwritten signature or initials.

श्री कृष्ण जी महाराज आ.आर.डी. 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायलयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफ़ी दुरुपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमों बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

- (i) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे।
- (ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।
- (iii) जो जमाबन्दी बन चुकी है। तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाशत के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काशतकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काशत दर्ज होने पर काशतकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेंस की कार्यवाही की जावे।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।



Handwritten signature/initials

4. ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है—

“जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार— जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो संदर्भ (reference) लंबित है; उन प्रकरणों में संबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निस्तारण करायेंगे।”

निबन्धक, राजस्व भण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/प-63/न्याय/स्था/05/636-689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर, समस्त राजस्व अपील अधिकारी को लिखा गया है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लंबित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03 (2)राज-6/7/19 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भू-प्रबन्ध अधिकारियों,

MW




राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायता के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 13.12.1991 की मंशा के विरुद्ध की गई कार्यवाही थी। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 24.05.2007, पत्र दि. 06.01.2010 और परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में दिए गये दिशा-निर्देशों के विपरीत वादग्रस्त आराजी को मंदिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी के नाम लगाने हेतु तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र को रेफरेन्स किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाये जाने योग्य नहीं पाते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य में विद्वान् परोकार सरकार द्वारा कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में निहित होनी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त हस्तान्तरण एवं विरासत अन्तरणों को निरस्त कर भूमि को पुनः माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है, विद्वान् परोकार सरकार के कथन से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 48 में किया प्रश्न सं० 1 व इसका उत्तर अपने आप में ऐसे प्रकरणों की स्पष्टतः स्थिति स्पष्ट करता है। निर्णय दिनांक 15.07.2015 में पारित पैरा 48 का प्रश्न 1 व उत्तर ज्यों की त्यों निम्नानुसार है:-

" In order to summarize the answer, the question framed by the court and our decision on the question are stated as below :-

"Question No. (1) Whether the land in jagir, by Hindu idol (deity) as Dolidar of Muafidar Cultivated by a person other than shebait/pujari of the deity or by hired labour or servants engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, such idol being treated as a perpetual minor, will still be regarded as land held in the personal cultivation of the deity or will such land be regarded as held in the tenancy by the person cultivating such land as tenant of a deity ?

Answer:- The Question no. (1) is decided in favour of the state and against the shebait/pujari claiming the land to be saved by the Jagirs Act. 1952. The land held in jagir by hindu idol (deity) as dolidar or mafidar cultivated by a person other then the shebait/pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, shall vest in the state, after the jagirs act 1952. The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to



Handwritten signature


hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the state. Such land under the tenancy of person other than shebait/pujari of hindu idol (deity) become khatedari land of such tenant. the name of hindu idol (deity) from such land had to expunged from the revenue records with shebait/ pujari having no right to claim the land as khatedar. Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act, 1952 and the land under such transfers to resumed by the state.

विचारण प्रकरण में सेवायत/पुजारी के नाम आराजी को दर्ज किये जाने का विवाद नहीं है बल्कि सम्वत् 2015-2034 से पूर्व ही अन्य व्यक्ति द्वारा काबिज/काश्त किये जाने के कारण एवं माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी में न होकर जमाबन्दी सम्वत् 2015-2034 में आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 4 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा महायोग कुल किता 6 रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा चंदा पुत्र नानू कौम मीणा साकिन देह मु० कदीम दर्ज रही है और इनके नाम निरन्तर जमाबन्दी में बदस्तूर रहेंगे, माफी रिज्यूम होने पर नाम भौक्ता कॉलम संख्या 3 में बतौर मालिक सरकार का इन्द्राज है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो मार्गदर्शन दिनांक 24.05.2007, दिनांक 06.01.2010 व दिनांक 25.11.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अर्थात् सम्वत् 2012 का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह जाहिर करता हो कि सम्वत् 2012 में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी की खुदकाश्त नाम रही हो। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व अर्थात् जागीर रिजम्पशन के समय काश्त करने संबंधी प्रमाण स्वरूप सम्वत् 2009-2011 एवं 2012-2015 की खसरा गिरदावरियों में भी माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी, मंदिर श्री सीताराम जी, का इन्द्राज नहीं है जबकि जयपुर स्टेट की तत्समय खसरा गिरदावरी को प्रमाणित रिकार्ड माना गया है।



JK

विचारण प्रकरण के परिपेक्ष्य में हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 4345/2011 उनवानी सरकार बनाम नारायण में दिनांक 19.03.2015 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र को खारिज किया गया है जो आर.आर.डी. 14.07.2015 पेज 370-376 पर मुद्रित है, का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हमारे द्वारा पाया गया कि विचारण प्रकरण एवं न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 14.07.2015 के तथ्य समान है इसी प्रकार स्पेशल अपील/एल.आर./8948/2012/जयपुर उनवानी रामनिवास वगैराह बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 13.10.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 3833/2007 बउनवानी सरकार बनाम रामनिवास में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2012 को निरस्त किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स को खारिज किया गया है, इस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं विचारण प्रकरण के तथ्य समान है और विचारण प्रकरण पर उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत पूर्णतः चस्पा होते हैं। 2019(i) आर0आर0टी0 250 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामलाल में निर्णय दिनांक 07.08.2018 द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि एकीकरण सम्बत् 2019 में वादग्रस्त आराजी कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता के कॉलम में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी श्री नारायण पुत्र भौरीलाल जाती स्वामी सा0 देह माफी उपरोक्त अंकित है तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक के कॉलम में खांगा वगैराह का नाम अंकित है और खतौनी बंदोबस्त सम्बत् 2015-2034 में भी उपरोक्तानुसार ही अंकन किया हुआ है, राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी वादग्रस्त भूमि के माफीदार थे तथा खांगा वगैराह काश्तकार दर्ज रहे हैं। भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने पर इसके प्रावधानों के अनुसार माफीदार जागीरदार की जागीर अधिग्रहित हो गई एवं उसके स्थान पर राज्य सरकार आ गई तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्बत् 2021 में मंदिर मूर्ति की जागीर अधिग्रहित हो जाने से काबिज काश्तकार के खातेदार बन जाने से अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप ही है। राज्य सरकार ने भी वर्ष 2007 एवं 2010 में परिपत्र जारी कर माफीदार जागीरदार की ऐसी भूमियों पर काबिज काश्तकार को खातेदार दर्ज किया जाना उचित मानते हुए इसे यथावत रखे जाने का निर्देश दिया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों एवं बाद में विरासत के आधार पर वर्तमान अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप होने से हम इस रेफरेन्स में कोई सार



[Handwritten signature]

नहीं पाते हैं एवं रेफरेन्स खारिज करना न्यायोचित समझते हैं, अतः रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाते हैं। मिसल बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्बत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 5 के अनुसार दर्ज इन्द्राजों की निरन्तरता में किये गये इन्द्राज व इसके पश्चात के नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निजी खातेदारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय-संगत नहीं पाते हैं। अतः तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।



निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

~~(मिथराज सिंह, मीना)~~
अति. कलक्टर (द्वितीय)